कुमार सिंह,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मातेश्वरी कन्सट्रक्शन, पार्टनर–श्री विकाश कुमार, पिता–श्री दिलीप कुमार सिंह, ग्राम–ममका निवास, चितौड़ नगर नया क्षेत्र, जिला–औरंगाबाद द्वारा भोजपुर सोन–20 बालू घाट मौजा–अहिमानचक और खेमकरणपुर, ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 30.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2081/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री निरोज कुमार भगत, नगर आयुक्त आरा, नगर निगम, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 30.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 22.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (980 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री रौशन कुमार, ग्राम–यादव टोला, अहिमनचक, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को कितने को रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से 112 स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जायेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा।
2.	श्री बबन सिंह, ग्राम–अहिमनचक, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताये गये पानी का छिड़काव नहीं होता है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है। सुझाव दिया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताये गये उपायों का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाय।
3.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम–अहिमनचक, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन 03 मीटर तक ही होना चाहिए। अधिक होने से दुर्घटना हो जाता है। संवेदक द्वारा पेड़ नहीं लगाया जाता है एवं पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन 03 मीटर से अधिक नहीं होगा, पेड़ लगाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं जल–छिड़काव समय–समय पर किया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अगर संवेदक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तब आप जिला पदाधिकारी या

		खनिज विकास पदाधिकारी के यहाँ सकारात्मक शिकायत कर सकते हैं। आपको भी सजग रहना है। कारवाई जरूर की जायेगी।
4.	श्री चन्दन कुमार सिंह, ग्राम–अहिमनचक , जिला–भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है।
5.	श्री अरविन्द सिंह, ग्राम–अहिमनचक, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन में वाहन के परिवहन से सड़क में गढ़्ढा हो जाता है। सड़क का मरम्मत्ति संबंधित विभाग द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6.	श्री अजीत कुमार सिंह, ग्राम–अहिमनचक, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन में वाहन द्वारा बालू ढोने के लिए नहर में नाजायज तरीके से डायवर्सन बना दिया जाता है, जिससे सिंचाई में दिक्कत होती है एक क्लस्टर में 4–5 जगह से खनन की जाती है। इसे कम किया जाय। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नहर में पुल बनाने का अनुमोदन लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त किया जाता है। पुल लोहा का ही बनना चाहिए। आज के तारीख में

		ह्यूम पाईप का उपयोग नहीं किया जाता है। संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है। उनके द्वारा बताया गया कि घाट से मुख्य सड़क तक पहुँच पथ आपके जमीन में आपके सहमति से लग सकता है।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 1500 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

5-6-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

नगर आयुक्त, आरा, नगर निगम
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, पार्टनर-श्री विकास कुमार द्वारा सोन 20 बालू घाट, मौजा-अहिमंचक और खेमकरणपुर, ब्लॉक-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	निरोज कु॰ नागर	नगर आयुक्त कार्य, आरा नगर निगम	[signature] 30/5/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	अंचल पदाधिकारी, बि॰रा॰प्र॰ नियंत्रण पर्षद, पटना	[signature] 30-5-23
3.	आनंद प्रकाश	[illegible] विभाग पदाधिकारी भोजपुर	[signature] 30/05/23
4.	कृष्णा कुमार शर्मा	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
5.	रमन कुमार पंडित	उदवंत नगर	Raman Kumar
6.	Md Rashid Aftab	Rian Enviro. Patna	Rashid
7.	Arvind Pratap Singh	अहिमन चक (भोजपुर)	[signature]
8.	Rohan Kumar ROUSHAN KUMAR	S/o Ramesh Kumar, Ahimanchak. Bhojpur	[signature]
9.	[illegible] कुमार सिंह	अहिमन चक (भोजपुर)	
10.	रविरंजन कुमार सिंह	अहिमनचक (भोजपुर)	[signature]
11.	Ajeet K Singh	अहिमन चक (भोजपुर)	[signature]
12.	Gajendra Kumar	अहिमनचक भोजपुर	

13.	चंद्र कुमार	अहिमन चक	चंद्र कुमार
14.	बबलू सिंह	अहिमनचक खेमकरणपुर	6299239014 Babloo Singh
15.	[illegible]	अहिमन चक, खेमकरणपुर	7903884095
16.	आशीष कुमार	अहिमनचक खेमकरणपुर	8210040195
17.	आनंद कुमार	अहिमन चक. खेमकरणपुर	8709299839
18.	Chandan Kumari	Ahiman Chak	6351479768
19.	[illegible]	अहिमन चक	7909076895
20.	[illegible]	अहिमनचक	7992399011 BKS
21.	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible] कुमार	अहिमन चक खेमकरणपुर	9386[illegible]2513 [illegible]
23.	[illegible] कुमार सिंह	अहिमन चक	6200093721 Babalu Singh
24.	[illegible]	अहिमनचक	9304117431 Vicky [illegible] Singh
25.	[illegible] कुमार सिंह	अहिमन चक	6353128950 [illegible]
26.	ADITYA SINGH FOR	PATNA, BIHAR	Aditya Singh
27.			